न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 68/2020

1. कृष्ण कुमार पुत्र कनीराम जाति जाट निवासी घोटडा पट्टा त० भादरा।

:— वादी

ब नाम

1. कनीराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी घोटडा पट्टा त० भादरा।
2. बंशीलाल पुत्र कनीराम जाति जाट निवासी घोटडा पट्टा त० भादरा।
3. सुनीता पुत्री कनीराम जाति जाट निवासी घोटडा पट्टा त० भादरा।
4. मैना पुत्री कनीराम जाति जाट निवासी घोटडा पट्टा त० भादरा।
5. पंजाब नैशनल बैंक, शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबंधक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री महावीर सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घोटडापट्टा के खाता सं० 7/7 के खसरा सं० 88 की 9.156है०, खसरा सं० 92 की 13.114है0, खसरा सं० 109 की 15.289है०, खसरा सं० 138 की 5.944है०, खसरा सं० 172 की 7.3350है0 कुल 50.8380है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 कनीराम के नाम से 1005 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चुंकि प्रतिवादी सं० 3 व 4 ने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने पर यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी कृष्ण कुमार प्रतिवादी सं० 1 कनीराम, प्रतिवादी सं० 2 बंशीलाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.7.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:40:14
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 68/2020

1. कृष्ण कुमार पुत्र कनीराम जाति जाट निवासी घोटडा पट्टा त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. कनीराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी घोटडा पट्टा त0 भादरा।
2. बंशीलाल पुत्र कनीराम जाति जाट निवासी घोटडा पट्टा त0 भादरा।
3. सुनीता पुत्री कनीराम जाति जाट निवासी घोटडा पट्टा त0 भादरा।
4. मैना पुत्री कनीराम जाति जाट निवासी घोटडा पट्टा त0 भादरा।
5. पंजाब नैशनल बैंक, शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबंधक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग: वादी
वकील श्री महावीर सिंह : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 08.07.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घोटडापट्टा के खाता सं0 7/7 के खसरा सं0 88 की 9.156है0, खसरा सं0 92 की 13.114है0, खसरा सं0 109 की 15.289है0, खसरा सं0 138 की 5.944है0, खसरा सं0 172 की 7.3350है0 कुल 50.8380है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 कनीराम के नाम से 1005 हिस्सा व 560 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा इन्द्राज की खातेदारी हुआ करती थी। इन्द्राज के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 कनीराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने पर उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से दावा को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया व प्रतिवादी सं0 6 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:20:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 कृष्ण कुमार पुत्र कनीराम जाति जाट निवासी घोटडापट्टा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही घोटडापट्टा संवत 2074–77 प्रदर्श 1, जमाबंदी भू प्रबंध विभाग संवत 2029–38 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कुंजी प्रदर्श 3, जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श 3ए प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही घोटडापट्टा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही घोटडापट्टा संवत 2074–77 प्रदर्श 1, जमाबंदी भू प्रबंध विभाग संवत 2029–38 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कुंजी प्रदर्श 3, जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श 3ए प्रदर्शित करवाये। तथा प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण के अनुसार कनीराम के दो पुत्र कृष्ण कुमार, बंशीलाल व दो पुत्री सुनीता व मैना तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि में 1005 हिस्सा कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घोटडापट्टा के खाता सं0 7/7 के खसरा सं0 88 की 9.156है0, खसरा सं0 92 की 13.1148है0, खसरा सं0 109 की 15.289है0, खसरा सं0 138 की 5.944है0, खसरा सं0 172 की 7.3350है0 कुंल 50.8380है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 कनीराम के नाम से 1005 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चुंकि प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने पर यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी कृष्ण कुमार प्रतिवादी सं0 1 कनीराम, प्रतिवादी सं0 2 बंशीलाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.7.21 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:20:14 IST
Reason: SelfAttested

सत्यनारायण
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner